बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०- पि०व०/6/मु०सि०से०प्रो०यो०-36-04/2025-1011 पटना, दिनांक-19.08.2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः- आधार प्रमाणीकरण के लिए SUB-AUA/KUA की सेवा प्राप्त करने हेतु लाईसेन्स शुल्क कुल राशि रू० 3,54,000/- (रू० तीन लाख चौवन हजार) मात्र जी०एस०टी० सहित की अग्रिम निकासी एवं UIDAI, नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

आदेशः-स्वीकृत।

Unique Identification Authority of India के पत्रांक-HQ-13082/3/2023-AUTH-II HQ-Part(1)/C-18764/2454, दिनांक-12.08.2025 के invoice No.-DL/PROFORMA/SALF/2526/095, Dated-13.08.2025 के आलोक में कुल राशि रू० 3,54,000/- (रू० तीन लाख चौवन हजार) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति वित्त विभागीय पत्र सं०-एम-4-21/2007-2890/वि०, दिनांक-20.03.2023 के आलोक में प्रदान की जाती है। यह राशि जी०एस०टी० सहित का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-11, के अधीन मुख्य शीष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा विषय शीर्ष -13.01- कार्यालय व्यय विपत्र कोड सं०-11-2225-03-277-0101 से विकलनीय होगा।

2-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

3-उक्त राशि का भुगतान UIDAI के नाम से Punjab National Bank में संचालित खाता संख्या-0153002100573221, IFS Code- PUNB0015300 में किया जाएगा।

4-प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5-प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

19/8/25

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/6/मु०सि०से०प्रो०यो०-36-04/2025-1011 पटना, दिनांक-19.08.2025

प्रतिलिपिः--कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय लेखाशाखा (दोहरी प्रति में)/ आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ UIDAI, नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त invoice No.-DL/PROFORMA/SALF/2526/095, Dated-13.08.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/8/25

सरकार के अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner